



# न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

भारत सरकार  
 पुष्पिनी नगरपालिका थाना प्रगारी वनाम राम कुमार मगत वगैर

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....<u>67</u>...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी <del>सुप्रीम कोर्ट</del> के अप्राथमिकी सं०-<u>11/18</u> दिनांक-<u>17-5-18</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>विधान सभा उप-इलाक के दौरान अशांति फैलाने की योजना</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का नग्न पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>25-05-18</u> को उपस्थापित करें।                      लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">                           कार्यपालक (दण्डाधिकारी),                          बुण्डू।                     </div> <div style="text-align: center;">                           कार्यपालक दण्डाधिकारी,                          बुण्डू।                     </div> </div>	

25-05-18

अभिलेख उपस्थापित | दिनांक 15-06-18 को रखे |  
 उपस्थापित | दिनांक 15-06-18 को रखे |

  
 25/5/18

दि  
09-18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पत्र अनुपस्थित। द्वितीय पत्र जवाब हासिल करने दिनांक 22-10-18 को रखें।

  
28/10/18

22-10-18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पत्र अनुपस्थित। द्वितीय पत्र जवाब हासिल करें। दिनांक - 5-11-18 को रखें।

  
22/11/18

05/11/18

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पत्र अनुपस्थित। द्वितीय पत्र जवाब हासिल करें। दिनांक - 30/11/18 को रखें।

  
05/11/18

30-11-18

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अनुपस्थित। विधान सभा उप चुनाव शक्तिपूर्वक से सम्पन्न हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

  
30/11/18